

संशोधित आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/फार्मासिस्ट/नियुक्ति/2011/559-67 दिनांक 11.07.2012 के द्वारा फार्मासिस्ट के पद के लिये चयनित 1343 अभ्यर्थियों में से ओबीसी, एसबीसी, एस.सी. एवं एस.टी. वर्ग की महिला अभ्यर्थियों का चयन एवं आदेश क्रमांक नर्सिंग/फार्मासिस्ट/नियुक्ति/2012/576 दिनांक 21.07.2012 के द्वारा किया गया पदस्थापन माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11116/2012 श्रीमती अनुराधा अग्रवाल बनाम सरकार में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यक्षीय माना जावेगा।

शेष आदेश यथावत रहेगा।

*Ed/2*  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक/नर्सिंग/फार्मासिस्ट/नियुक्ति/2012/ 761- 77

दिनांक : 17.8.12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, मा. राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, (जन स्वास्थ्य/आर.सी.एच./एड्स), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
9. महानिदेशक, कारागार राजस्थान, जयपुर।
10. उप विधि परामर्शी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय।
11. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-
12. समस्त संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडीकल कॉलेज एवं संलग्न चिकित्सालय समूह को प्रेषित कर लेख है कि कृपया सभी संबंधित अभ्यर्थियों का सूचित करें।
13. समस्त संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि कृपया सभी संबंधित अभ्यर्थियों का सूचित करें।
14. समस्त संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि कृपया सभी संबंधित अभ्यर्थियों का सूचित करें।
15. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह को प्रेषित कर लेख है कि कृपया सभी संबंधित अभ्यर्थियों का सूचित करें।
16. समस्त संबंधित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. प्रभारी, सर्वर रूम, निदेशालय को भेज कर लेख है कि इस आदेश को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करें।
18. आदेश/निजी पत्रावली।

*Shmy*  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर